मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 ''सी'' विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांकः 696 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2012 भोपाल,दिनांक 20/01/12

प्रति,

महत्वपूर्ण
समय–सीमा

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
जिला – समस्त (म.प्र.)

विषय :– कार्यों के भौतिक सत्यापन एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर संधारण होने बाबत् कार्यवाही का पालन न करने बाबत्।

संदर्भ :– परिषद् कार्यालय का पत्र क्र. 11920 / NREGS-MP / वित्त एवं लेखा / 2011 दिनांक 23.12.11

––00––

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के भौतिक सत्यापन एवं परिसम्पत्ति संधारण होने बाबत् निर्देश देते हुए पत्र में प्रमाण–पत्र इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया गया था की जिला / जनपद / ग्राम पंचायत स्तर पर योजनान्तर्गत व्यय परिसम्पत्ति विषयक कार्य का विधिवत रजिस्टर संधारण किया जाकर उनका विधिवत सत्यापन कराते हुए परिषद् को अवगत कराया जावे।

यह चिंता का विषय है कि इस विषयक किसी भी जिले द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया न ही पत्र में संलग्न प्रमाण–पत्र हस्ताक्षर कर परिषद् को प्रेषित नहीं किया गया। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि पत्र का कड़ाई से पालन करते हुए परिषद् को 03 दिवस में अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए संलग्न प्रमाण–पत्र हस्ताक्षर कर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं किया जाने पर संबंधित अधिकारी को पूर्णतः जिम्मेदार मानते हुए कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतः इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जावे।

(नीरज मण्डलोई)
आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल

पृ.क्रमांकः 697 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2012 भोपाल,दिनांक 20/01/12

प्रतिलिपि –

1. प्रमख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विन्ध्याचल भवन भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागायुक्त समस्त की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल

E:\Data E drive\Aks-jcfa-\JCFA Nemi Teep, Letter, Notesheet\NERGS-MP- Letter-JCFA-2011-12.doc